डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17-ब] रायपुर, शनिवार, दिनांक 19 जनवरी 2002—पौष 29, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 836/डी/इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा बनाया गया अध्यादेश, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2002) को सर्वसाधारण की जानकारी के हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 1 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2002) है.

(दो) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23, सन् 1956) का संशोधन

धारा 135 में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23, सन् 1956) की धारा 135 में शब्द "दस प्रतिशत् से अधिक नहीं" के लिए शब्द "बीस प्रतिशत् से अधिक नहीं" स्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2002

क्रमांक 836/डी/इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 1 of 2002)

THE CHHATTISGARH NAGAR PALIK NIGAM (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follow :—

Short Title and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall come in to force on such date which the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment to the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

2. In Section 135 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) for the words " Not more tha ten percent", the words "not more than twenty percent " shall be substituted. **Amendment of Section 135.**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.